TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-40013
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर-भाग 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) एवं नियम 8(6) प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जनसामान्य को और विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदार) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों से कुल राशि की वसूली हेतु **"जहाँ है जैसे है", "जो है जैसे है" तथा "जो भी है वहीं है" के आधार पर** 29.01.2025 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बिक्री के किसी आस्थगन/असततता की अनुपस्थिति में, आस्ति/सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा कथित 29.01.2025 को 2 बजे अप. की जायेगी। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ईएमडी के डिमाण्ड ड्राफ्ट वाला मुहरबन्द लिफाफा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी के पास **शाखा पता टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर, भाग-2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024 पर 28.01.2025 को 5 बजे अप.** तक जमा करना है।

प्रतिभूत आस्ति/अचल सम्पत्ति की बिक्री "जहाँ है जैसे है स्थिति" में नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार की जायेगी :

क्र. सं.	ऋण खाता सं. तथा शाखा	दायित्वधारी(यों)/सह-कर्जदार(रों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों)/जमानती(यों) के नाम	माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि	कब्जे का प्रकार	17-12-2024 तक बकाया
1.	TCHHF03620001 00074664	श्री पवन कुमार वर्मा पुत्र श्री राम कृष्ण वर्मा, श्रीमती बबली वर्मा पत्नी श्री पवन कुमार वर्मा	रु. 1,19,11,871/- (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र) 26-04-2022	सम्पत्ति 1-दुकान नं. 28 तथा कार्यालय सं.12- रु. 60,61,000/- तथा सम्पत्ति 2-आवासीय मकान नं. 366 (पुराना) तथा 430 (नया)- रु. 40,65,600/-	सम्पत्ति 1- दुकान नं. 28 तथा कार्यालय सं. 12- रु. 6,06,100/- तथा सम्पत्ति 2-आवासीय मकान नं. 366 (पुराना) तथा 430 (नया)- रु. 4,06,560/-	भौतिक	रु. 58,23,568/- (रुपये अट्ठावन लाख तेईस हजार पांच सौ अड़सठ मात्र)

अचल संपत्ति का विवरण: सम्पत्ति 1 -1) वाणिज्यिक दुकान नंबर 28 (भूतल पर) का समस्त भाग, माप 20.12 वर्ग मीटर (सुपर कवर्ड एरिया) और वाणिज्यिक कार्यालय क्रमांक 12 (प्रथम तल पर), माप 18.69 वर्ग मीटर. (सुपर कवर एरिया), संपत्ति संख्या 366 (पुराना) और 430 (नया), राम नगर, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएँ: पूर्व - विक्रेता की संपत्ति (दुकान संख्या 26 और कार्यालय संख्या 13), पश्चिम - नवाब साहब की कोठी, उत्तर - श्री निवासजी का घर, दक्षिण-कॉमन मार्ग 11'

संपत्ति 2 - 2) आवासीय मकान नंबर 366 (पुराना) और 430 (नया) (केवल पहली मंजिल, छत के अधिकार के बिना), प्लॉट नंबर 63 का हिस्सा, माप 42.92 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 93.89 वर्ग मीटर, मोहल्ला राम नगर (इस्माइल खान), वार्ड और परगना लोनी, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमा: पूर्व - सुरेंदर सिंह की संपत्ति, पश्चिम - नवाब साहब की कोठी, उत्तर - श्री निवास की संपत्ति, दक्षिण - कॉमन मार्ग 11 'चौड़ा।

नोट:- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले ड्यू डिलिजेंस कर लें।

बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी।

नोट : यह ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल **https://bankauctions.in/** के माध्यम से 29.01.2025 को 2.00 बजे अप से 3.00 बजे अप के बीच आयोजित की जायेगी।

नियम एवं शर्तें : 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रतिभूत लेनदार के विवेकानुसार लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा। 2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि शाखा पता में देय **"टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि."** के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। असफल संविदाकारों को नीलामी के पश्चात डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी जमा करने के लिए कृपया अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें। 5. उच्चतम संविदाकार को सफल संविदाकार घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह संविदा के लिए वैधानिक रूप से पात्र हो और बशर्ते कि उसके द्वारा संविदा की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से इतना अपर्याप्त हो कि यह ऐसा करने के लिए अपरामर्शनीय हो तो 'अधिकृत प्राधिकारी' का विशेषाधिकार होगा कि वह उच्चतम संविदा की स्वीकृति को मना कर दे। 6. दर्ज कारणों से, 'अधिकृत प्राधिकारी' विक्रय को स्थगित/अनिरन्तर करने का विशेषाधिकार रखेगा। 7. सम्पत्ति का निरीक्षण 21.01.2025 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया जा सकता है। 8. सफल क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के तुरन्त बाद क्रय राशि/संविदा जिसमें ईएमडी राशि शामिल है, का पच्चीस प्रतिशत 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा और इस राशि के जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति को निजी सन्धि द्वारा पुनः नीलामी/बिक्री के लिए रखा जायेगा। 9. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारम्भिक राशि अदा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की तिथि के 15वें दिन को या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो इसे 15वें दिन के बाद पहले कार्यालयी दिन पर जमा करनी होगी। 10. उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति की फिर से नीलामी/बिक्री की जायेगी। ईएमडी सहित जमा की गई राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति के सभी दावों से वंचित हो जाएंगे। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणः शून्य। इच्छुक संविदाकार को सम्पत्ति कर, बिजली आदि के विधिक बकायों सहित सम्पत्ति पर ऋणभारों से सम्बन्धित अपनी स्वतन्त्र पूछताछ करने का परामर्श दिया जाता है। 12. अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, 6ठा तल, मैत्रीवनम कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500038, ई-मेल : **info@bankauctions.in** अथवा मनीष बंसल से ई-मेल आईडी : **Manish.Bansal@tatacapital.com** अधिकृत प्राधिकारी मोबाइल नं. 8588983696 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी पूछताछ ह्वाट्सएप नम्बर : 9999078669 पर करें। 13. उच्चतम घोषित संविदा राशि पर 1% टीडीएस देना होगा और यह उच्चतम संविदाकार द्वारा अदा किया जायेगा। उच्चतम संविदाकार द्वारा भुगतान स्वामी/कर्जदार(रों) के पैन पर जमा करनी होगी तथा चालान की प्रति हमारी कम्पनी के पास जमा करनी होगी। 14. उपर्युक्त विवरण कृपया लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट **http://surl.li/uhsmsb** में प्रावधानित लिंक देखें। 15. कृपया लिंक **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html** भी देखें।

कृपया ध्यान दें - टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी भी दलाल/एजेंट को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक पार्टियों को इस मामले में सभी प्रश्नों और पूछताछ के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : उत्तर प्रदेश ह./- **अधिकृत प्राधिकारी**
तिथि : 27.12.2024 **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

YES BANK

यस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सांताक्रुज ईस्ट, मुम्बई-400055.
सीआईएन: L65190MH2003PLC143249, ई-मेल : communications@yesbank.in,
वेबसाइट : www.yesbank.in

कब्जा सूचना [नियम 8(1) के तहत - अचल सम्पत्ति हेतु]

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत यस बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित संबंधित कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान करने को कहते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचनाएं जारी की थी।

कर्जदारों के कथित राशि के भुगतान में असफल रहने के कारण कर्जदारों एवं जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहाँ नीचे उल्लिखित सम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से सम्बन्धित कर्जदारों एवं जनसामान्य को एतद्वारा इन सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार यहाँ नीचे वर्णित राशि तथा उस पर अनुबंध दर पर ब्याज के लिए **यस बैंक लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार का नाम	ऋण खाता सं.	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण	सूचना राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि / पुनः कब्जे की तिथि
1. हरीश एंड कंपनी (कर्जदार) 2. शैलेंद्र कुमार गुप्ता (गारंटर और बंधककर्ता) 3. नीलम गुप्ता (गारंटर) 4. स्वर्गीय राजेश्वर गुप्ता अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से शैलेंद्र कुमार गुप्ता (बंधककर्ता)	खाता संख्या 005084600002157 टर्म लोन खाता संख्या 050LA40210120001 और 050LA40220290001 के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की सुविधा	95.99 वर्गमीटर क्षेत्रफल मोहल्ला सराय खालसा तहसील एवं जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश **सीमा: पूर्व**- जगन्नाथ लाल का मकान, **पश्चिम**- 1.20 मीटर चौड़ी सड़क, **उत्तर**- कस्तूरी देवी का मकान, **दक्षिण**- 3 मीटर चौड़ी सड़क	रु. 76,81,648/- (रुपये छिहत्तर लाख इक्यासी हजार छः सौ अड़तालीस मात्र) **तिथि** 18.08.2024 **तक**	14/10/2024 23-12-2024

अधिनियम की धारा 13(8) के तहत कृपया ध्यान दें, यदि समस्त लागतों, प्रभारों और हमारे द्वारा किये गये व्ययों सहित हमारे सभी बकाये बिक्री या हस्तान्तरण की निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय अदा कर दिये जाते हैं तो हमारे द्वारा प्रतिभूति आस्ति की बिक्री या हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा और हमारे द्वारा प्रतिभूत आस्ति की बिक्री या हस्तान्तरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया जायेगा।

तिथि :27.12.2024 हस्ता/-
स्थान : मुरादाबाद (उ.प्र.) **अधिकृत प्राधिकारी**
यस बैंक लिमिटेड

RELIGARE Values that bind

रेलिगेयर एंटरप्राईजेज लिमिटेड

CIN: L74899DL1984PLC146935
पंजीकृत कार्यालय: 1407, 14वीं मंजिल, चिरंजीव टॉवर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019
फ़ोन: +91-11-4472 5676
वेबसाइट: www.religare.com; **ईमेल:** investorservices@religare.com

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड ("कंपनी"), जिसका पंजीकृत कार्यालय 1407, 14वीं मंजिल, चिरंजीव टॉवर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 में है, ने 31 दिसंबर, 2024 को सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी" / "ओएवीएम") के माध्यम से अपनी वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") निर्धारित की थी। उक्त एजीएम की सूचना 07 दिसंबर, 2024 को कंपनी के सदस्यों को प्रसारित की गई थी।

लेख याचिका (डब्ल्यूपी 40618/2024) (विजयंत मिश्रा बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य) में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के अनुसार, दिनांक 18 दिसंबर, 2024 को और कंपनी द्वारा 26 दिसंबर, 2024 को प्राप्त हुआ, जो की कंपनी की एजीएम जो 31 दिसंबर, 2024 को होने वाली है, पर रोक लगा दी गई है।

उपरोक्त आदेश की प्रति माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट से निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है:

https://mphc.gov.in/upload/jabalpur/MPHCJB/2024/WP/40618/WP_40618_2024_Order_18-12-2024_digi.pdf.

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों और संबंधित नियामकों को उपरोक्त आदेश की सूचना दे दी है।

कृते रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड
हस्ता/-
दिनांक: 27 दिसंबर, 2024 **विनय गुप्ता**
स्थान: नई दिल्ली **कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी**

NOTICE

ROTO PUMPS LIMITED

Regd. Off.: Roto House, Noida Special Economic Zone, Noida - 201305 (U.P.)
Tel.:+91 120 2567902-05, Fax: +91 120 2567911,
Email: investors@rotopumps.com Website: www.rotopumps.com
CIN: L28991UP1975PLC004152

Notice is hereby given that the Certificate(s) for the under mentioned Equity Shares of the Company have been lost / misplaced, and the holder(s) / purchaser(s) of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate(s). Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without any further intimation.

Folio No.	Name of Shareholder	Kinds of Securities and Face value 10/-	No. of Securities	Distinctive Nos. From To	Certificate Nos.
0000572	Vinay Krishan Mehrotra	Equity Shares 10/-	100	2297662-2297761	32225

Place: Noida Sd/-
Date: 27 December 2024 **Vinay Krishan Mehrotra**
Share Holder(S) name and signature

STUDDS

स्टड्स एस्सेसरीज लिमिटेड

CIN: U25208HR1983PLC015135
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 918, सेक्टर 68, आईएमटी, फरीदाबाद-121004
वेबसाइट: www.studds.com, ई-मेल: secretarial@studds.com
फोन नंबर: 0129-4296500

कम्पनी के सदस्यों के लिये सूचना

बोनस इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिये अभिलिखित तिथि

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 1:1 अर्थात् रु. 5/- प्रति के प्रत्येक 1 (एक) वर्तमान पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिये रु. 5/- प्रति पूर्णतः प्रदत्त के 1 (एक) नये बोनस इक्विटी शेयरों के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयरों के लिये अधिकृत सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 24 दिसम्बर, 2024 को आयोजित उसकी बोर्ड की बैठक में कम्पनी ने शुक्रवार, 10 जनवरी, 2025 को "अभिलिखित तिथि" के रूप में निर्धारित किया है।

बोनस इक्विटी शेयर कम्पनी के उन सदस्यों को आवंटित किया जायेगा जिनके नाम अभिलिखित तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे तथा वह कम्पनी के मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अधीन होगा तथा वह सभी दृष्टियों से कम्पनी की वर्तमान की पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के समानुरूप तथा उसी अधिकारों का वाहक होगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा लागू होने वाले अन्य कानूनों के अनुसार बोनस इक्विटी शेयरों का आवंटन डिमैटिरियलाइज्ड पद्धति में किया जायेगा तथा इस प्रकार डिमैट पद्धति में मूल शेयर धारित करने वाले शेयरधारक को उनकी संबंधित डिमैट खाता में स्वतः प्रत्यक्ष रूप से बोनस शेयर्स क्रेडिट हो जायेगा तथा ऐसे शेयरधारकों जो अभिलिखित तिथि अर्थात् 10 जनवरी, 2025 को व्यवसायिक अवधि की समाप्ति पर भौतिक पद्धति में इक्विटी शेयर धारित करते है, के लिये इस संदर्भ में अलग से खोली गई एस्क्रो एकाउन्ट में वह क्रेडिट होगा।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से
स्टड्स एस्सेसरीज लिमिटेड
स्थान: फरीदाबाद **आशा मित्तल**
तिथि: 26.12.2024 **कम्पनी सचिव**

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :- 502, टावर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सर्किल कार्यालय :- 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट -IV-क [नियम 8 (6) और 9(1) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) तथा 9(1) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदार की तरफ कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित तिथियों को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	1. कर्जदार(रों) का नाम 2. बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. सुरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईएमडी 3. वृद्धि मूल्य
1.	1. श्री बॉबी ("कर्जदार"), 2. श्रीमती गायत्री (सह-कर्जदार) ऋण खाता सं. LNHLKKD000092859 (पुराना) 51200000807361(नया) रूपये 11,90,242/- (रूपये ग्यारह लाख नब्बे हजार दो सौ बयालीस मात्र) 08-08-2024 तक + लागू भावी ब्याज	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आरएचएस फ्लैट नंबर 1, (एलआईजी), प्रथम तल, राइट हैंड साइड (छत के अधिकार नहीं), प्लॉट नंबर 34 और 35 पर निर्मित, खाता नंबर 01064 का भाग, खसरा नंबर 76, स्थित : सुदामापुरी कालोनी, कृष्णा वाटिका, ग्राम डूंडाहेड़ा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009, फ्लैट नंबर 1, प्रथम तल की चौहद्दी निम्नानुसार - उत्तर : एमआईजी फ्लैट नंबर 1, दक्षिण : एलआईजी फ्लैट नंबर 2, पूरब : दीगर मालिक का फ्लैट, पश्चिम : भू तल पर रोड 20 फीट चौड़ी	1. ई-नीलामी की तिथि : 13-01-2025 (अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच) 2. ईएमडी, केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि : 10-01-2025 3. निरीक्षण की तिथि : 09-01-2025	सुरक्षित मूल्य : रु. 9,00,000/- (रूपए नौ लाख मात्र) धरोहर राशि जमा : रु. 90,000/- (रूपए नब्बे हजार मात्र) वृद्धि मूल्य : रु. 10,000/- (रूपए दस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की वेबसाइट नामतः **www.capriglobal.in/auction** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :-

1. सम्पत्ति "जैसी है जहां है, जो भी है वहां है तथा कोई वापसी नहीं आधार" पर बेची जा रही है। अतएव बिक्री किसी प्रकार की वारंटी एवं क्षतिपूर्ति के बिना की जा रही है।
2. सम्पत्ति/आस्ति के विवरण (उदाहरण के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सीमा एवं परिमाप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं तथा प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वास्तविक सीमा एवं माप भिन्न हो सकता है।
3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा जारी की गई ई-नीलामी बिक्री सूचना जनसाधारण को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने हेतु एक आमंत्रण है तथा यह प्रतिभूत लेनदार की ओर से कोई वचनबद्धता अथवा अभिवेदन नहीं है और न ऐसा करता समझा जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले स्वामित्व विलेख की प्रति प्रतिभूत लेनदार से प्राप्त करने और सम्पत्ति/आस्ति के स्वामित्व के स्वामित्व एवं वर्तमान दशा तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/देयताओं की स्वतंत्र जांच/सतर्क जांच कर लेने की सलाह दी जाती है।
4. नीलामी/बोलीदान सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर अथवा ऑक्शन टाइगर मोबाइल ऐप के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" द्वारा होगा, जो ई-नीलामी प्लेटफार्म के जरिए नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था एवं समन्वय करेंगे।
5. बोलीदाता बोलीदान के लिए अपनी पसंद के स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश डाउन, पावर फेल्योर इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
6. संभावित बोलीदाता ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन बोलीदान के लिए सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नंबर 079-68136880/68136837), श्री राम प्रसाद शर्मा मोबाइल नंबर 800-002-3297/ 79-6120 0559, ई-मेल : **ramprasad@auctiontiger.net** से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए अपने नाम का पंजीकरण **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर पर्याप्त अग्रिम में करवाना होगा तथा यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड मिलते ही तत्काल इसको बदल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाता को एक प्रतिदेय ईएमडी, जोकि सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत है (उपरि वर्णित अनुसार) "कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से 10-01-2025 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी।
9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा गया बोली प्रपत्र (फार्मेट **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर उपलब्ध है) ईएमडी हेतु डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, आंचलिक कार्यालय, प्लॉट नंबर 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060 को अधिकतम 10-01-2025 के अप. 03.00 बजे तक भेजा जा सकता है। सीलबंद लिफाफे पर "कर्जदार नाम" की सम्पत्ति के लिए ऋण खाता नंबर - ..... (ऊपर वर्णित अनुसार) में ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु बोली" शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेंगे तथा योग्य बोलीदाताओं (जिनके द्वारा अपनी बोलियां सुरक्षित मूल्य से अधिक उद्धृत की गई हैं तथा प्रतिभूत लेनदार द्वारा विनिर्दिष्ट ईएमडी जमा की गई है) के विवरण की पुष्टि मैसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को करेंगे ताकि वे ई-नीलामी बिक्री सूचना में वर्णित तिथि और समय पर ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति केवल उन्हीं योग्य बोलीदाताओं को दें।
11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोलीदान योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम बोली से आरंभ किया जाएगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार होंगे अर्थात ई-नीलामी समाप्त होने का समय अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर बोली आने पर हर बार स्वतः 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
12. एक बार बोली देने के बाद निरस्त या वापस नहीं की जा सकती है। बोलीदाता को उपलब्ध कराई गई यूजर आईडी से दी गई सभी बोलियां केवल उसके द्वारा दी गई बोली मानी जाएंगी।
13. ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर, उच्चतम बोलीदाता को उसके द्वारा उद्धृत अंतिम बोली की राशि की पुष्टि तत्काल ई-मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, आंचलिक कार्यालय, कार्यालय/प्लॉट नंबर 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060 तथा सेवा प्रदाता दोनों को भेजी जाएगी, ताकि उसको ई-नीलामी प्रक्रिया में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके।
14. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित) बोली उसके पक्ष में छूटने पर, बिक्री के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15 दिन के भीतर कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/ आरटीजीएस/चैक द्वारा जमा करनी होगी।
15. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित राशियों का भुगतान नियत अवधि के भीतर करने में चूक की स्थिति में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशियां (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएंगी और सम्पत्ति दोबारा बिक्री हेतु रखी जाएगी।
16. सफल बोलीदाता के अ